


स्वास्थ्य समिति, पूर्वी सिंहभूम / सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम / जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम / सभी सी०डी०पी०ओ०, पूर्वी सिंहभूम / श्रम अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम / पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को निदेशित किया जाता है कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा / पुलिस उप महानिरीक्षक, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण  
समन्वय समिति,  
पूर्वी सिंहभूम।


ज्ञापांक...२५४.../विधि जमशेदपुर दिनांक...०५.../...०३.../2014

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Development Society (SEEDS) एवं श्री प्रणय लाल, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, एन०सी०डी० सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा०चि० एवं शि० प०क० विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।



उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण  
समन्वय समिति,  
पूर्वी सिंहभूम।



Sent  
5.3.14

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर  
(विधि शाखा)

आदेश

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce Production, Supply and Distribution Act 2003 (COTPA-2003) को पूर्वी सिंहभूम जिला में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 16/NTPC/13 राँची दिनांक 09.05.2013 एवं दिनांक 25.02.2014 को आयोजित जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, पूर्वी सिंहभूम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति **District Level Tobacco Control Coordination Committee (DLCC)** का गठन किया जाता है। जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति में विभिन्न विभागो एवं स्वयं सेवी संस्थाओ के निम्नांकित सदस्य होंगे :


1. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति : अध्यक्ष
2. पुलिस अधीक्षक : सदस्य
3. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चि० पदा०, : सदस्य सचिव
4. अपर समाहर्ता (विधि व्यवस्था)  
-सह-विशेष नोडल पदा०, तंबाकू नियंत्रण : सदस्य-सह-मुख्य समन्वयक
5. उप-विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम : सदस्य
6. जिला नोडल पदा०, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम : सदस्य-सह-समन्वयक
7. अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय : सदस्य
8. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी : सदस्य
9. जिला शिक्षा पदाधिकारी : सदस्य
10. जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी : सदस्य
11. जिला परिवहन पदाधिकारी : सदस्य
12. जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी : सदस्य
13. अध्यक्ष, आई०एम०ए०, पूर्वी सिंहभूम : सदस्य
14. सचिव, भारतीय रेडक्रॉस समिति, पूर्वी सिंहभूम : सदस्य
15. सचिव, रोटरी क्लब, पूर्वी सिंहभूम : सदस्य
16. प्रतिनिधि, सोशियो इकानोमिक एण्ड ऐजुकेशनल



डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स)	:	सदस्य
17. प्राचार्य, .....	विद्यालय, पूर्वी सिंहभूम	: सदस्य
18. प्राचार्य, .....	कॉलेज, पूर्वी सिंहभूम	: सदस्य

उक्त समिति तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करेगी जो निम्नलिखित हैं:-

- COTPA -2003 को पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रभावी रूप से लागू करवाने, चालान (दण्ड) व्यवस्था शुरू करने तथा मुल्यांकन तथा अनुश्रवण में सहयोग करना।
- तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित कार्यों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हो ताकि केन्द्र सरकार के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित हो पाये।
- पूर्वी सिंहभूम जिले/प्रखण्डों की अनुश्रवण/रहनुमाई समिति का गठन तथा उसकी बैठक नियमित रूप से त्रैमासिक अंतराल पर आयोजित किया जाना है।
- यह सुनिश्चित करना कि अधिकृत अधिकारी अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से अनुपालन कर रहे हैं तथा उनके द्वारा तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित कितने मामले में फैसला लिया गया है।
- तम्बाकू संबंधित मामले पर निर्णय लेना तथा प्रखण्ड स्तरीय समिति को सुझाव एवं मार्गदर्शन देना।
- भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4,5,6 एवं 7 के उल्लंघन के विशिष्ट मामलों में कार्रवाई करना तथा राज्य/जिला स्तरीय समिति को सूचित करना।
- DLCC की त्रैमासिक मनोनीत सदस्यों की बैठक सुनिश्चित करना।
- तम्बाकू और संबद्ध उत्पादों के प्रत्यक्ष,अप्रत्यक्ष एवं surrogate विज्ञापन के बारे में शिकायत दर्ज कराने हेतु आम जनता को अवसर प्रदान करना तथा प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना।



उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण  
समन्वय समिति,  
पूर्वी सिंहभूम।

ज्ञापांक.....१५९...../विधि जमशेदपुर दिनांक.....०६.../०३...../2014

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों का सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित  
प्रतिलिपि :- आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा /पुलिस उप महानिरीक्षक,  
सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण  
समन्वय समिति,  
पूर्वी सिंहभूम।




ज्ञापांक.....१५१...../विधि जमशेदपुर दिनांक.....०५...../.....०३...../2014

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Development Society (SEEDS) एवं श्री प्रणय लाल, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, एन०सी०डी० सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा०चि० एवं शि० प०क० विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।



उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण  
समन्वय समिति,  
पूर्वी सिंहभूम ।







प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करें।

जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि आम जन के बीच तम्बाकू के दूष्परिणामों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से सभी सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में तम्बाकू नियंत्रण पर प्रभात-फेरी के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक महीने के समीक्षात्मक बैठक में इस तम्बाकू नियंत्रण के तहत की गयी कार्रवाई की समीक्षा करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण  
समन्वय समिति,  
पूर्वी सिंहभूम।

ज्ञापांक...२५५.../विधि जमशेदपुर दिनांक...०५.../०३.../2014

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम /सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम /जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण,कार्यक्रम पूर्वी सिंहभूम /असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को निदेशित किया जाता है कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा /पुलिस उप महानिरीक्षक, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण  
समन्वय समिति,  
पूर्वी सिंहभूम।

ज्ञापांक...२५५.../विधि जमशेदपुर दिनांक...०५.../०३.../2014


प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Development Society (SEEDS) एवं श्री प्रणय लाल, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित।



प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।



उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण  
समन्वय समिति, पूर्वी  
सिंहभूम।

### तम्बाकू मुक्त जिला समिति

इस जिले में तम्बाकू के उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए तम्बाकू मुक्त जिला समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री 200/- का कार्यभार सौंपा गया है।

उपायुक्त  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समिति  
पूर्वी सिंहभूम



10/10/2019

# उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर (विधि शाखा)

## आदेश

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना अपराध है। उल्लेखनीय है कि धूम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषेध है, लेकिन अभी भी आम जनता जानकारी और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हैं।

जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों यथा-बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, शापिंग मॉल, कॉफी हाउस, न्यायालय परिसर, सभाकक्ष, प्रतिकालय, टी स्टॉल, मिष्ठान भंडार, ढाबा, सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, सभी सरकारी/गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान, सभी सरकारी/गैर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल, सिनेमा हॉल, होटल/रेस्टोरेन्ट, पंचायत भवन, चौक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई व्यक्ति धूम्रपान करते पाया जाता है तो भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, अल्लंघनकर्ता को रुपये 200/- तक जुर्माना किया जाएगा। बोर्ड का प्रारूप निम्नांकित है :-

60cmx30cm



### धूम्रपान रहित क्षेत्र, यहाँ धूम्रपान करना एक अपराध है।

उल्लंघन करने पर 200/- रुपये तक जुर्माना किया जाएगा।

60 cmx30cm


अगर आप को कोई भी व्यक्ति धूम्रपान करते दिखाई देता है तो कृपया निम्न अधिकारी को शिकायत करें।

1. श्री / श्रीमती.....
2. पदनाम.....
3. फोन / मोबाईल न. ....



अतः चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड की व्यवस्था के सुचारु रूप से कार्यान्वयन के लिए सभी अधिकृत पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि अपने-अपने कार्य क्षेत्र में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के तहत उल्लंघन करने वाले को 200 रू0 तक दण्डित करना एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ में प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में उक्त कार्यवाही का प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई गयी तो इसके लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।




उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण  
समन्वय समिति, पूर्वी  
सिंहभूम।

ज्ञापांक...२५६.../विधि जमशेदपुर दिनांक...०६.../...०३.../2014

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम / निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, पूर्वी सिंहभूम / सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला पूर्वी सिंहभूम / अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, पूर्वी सिंहभूम / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्वी सिंहभूम / सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम / जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम / सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम / सभी सी0डी0पी0ओ0, पूर्वी सिंहभूम / श्रम अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम / पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), पूर्वी सिंहभूम / जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण, पूर्वी सिंहभूम / असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को निदेशित किया जाता है कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना और समाहरणालय परिसर एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर इस आशय का बोर्ड/होर्डिंग लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा / पुलिस उप महानिरीक्षक, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।





उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण  
समन्वय समिति,  
पूर्वी सिंहभूम।



ज्ञापांक...256.../विधि जमशेदपुर दिनांक...05.../...03.../2014

- प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Development Society (SEEDS) एवं श्री प्रणय लाल, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

  
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण  
समन्वय समिति,  
पूर्वी सिंहभूम ।





20-12-14

# उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर (विधि शाखा)


## आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 25.02.2014 को जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, पूर्वी सिंहभूम एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (सीड्स) के संयुक्त तत्वावधान में जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम **COTPA-2003** के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता जो सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/- तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :-

- |                                   |   |              |
|-----------------------------------|---|--------------|
| 1. प्रखंड विकास पदाधिकारी         | - | अध्यक्ष      |
| 2. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी     | - | सन्वयक सदस्य |
| 3. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी | - | सदस्य        |
| 4. प्रखंड कृषि पदाधिकारी          | - | सदस्य        |
| 5. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी        | - | सदस्य        |
| 6. प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक       | - | सदस्य        |
| 7. संबंधित थानाध्यक्ष             | - | सदस्य        |

संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में इस छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित कराते हुए प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। वे आवश्यकतानुसार अंचलाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भी अध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्त कर सकेंगे। साथ ही उनके द्वारा प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवायें ली जा सकेंगी।

  
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण  
समन्वय समिति, पूर्वी  
सिंहभूम।

ज्ञापांक...963.../विधि जमशेदपुर दिनांक...05.../03.../2014


प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम,  
जमशेदपुर/घाटशिला/ सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम /



जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, पूर्वी सिंहभूम  
/ जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन  
सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, / जिला शिक्षा पदाधिकारी  
/ सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्वी सिंहभूम  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है  
कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय  
की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा / पुलिस उप महानिरीक्षक,  
सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तंबाकू नियंत्रण  
समन्वय समिति, पूर्वी  
सिंहभूम।

ज्ञापांक...१६३.../विधि जमशेदपुर दिनांक...०६/०३.../2014

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational  
Development Society (SEEDS) एवं श्री प्रणय लाल, तकनीकी सलाहकार  
The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को  
सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ  
प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को  
सूचनार्थ प्रेषित।



उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तंबाकू नियंत्रण  
समन्वय समिति, पूर्वी  
सिंहभूम।



Sent  
5.3.14

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर  
(विधि शाखा)


आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 25.02.2014 को जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, पूर्वी सिंहभूम एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (सीड्स) के संयुक्त तत्वावधान में जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम **COTPA-2003** के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/- तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :-

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| 1. अनुमंडल पदाधिकारी                            | - | अध्यक्ष |
| 2. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी                      | - | सदस्य   |
| 3. कार्यपालक दण्डाधिकारी                        | - | सदस्य   |
| 4. अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी                     | - | सदस्य   |
| 5. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल मुख्यालय | - | सदस्य   |
| 6. अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी                     | - | सदस्य   |
| 7. संबंधित थानाध्यक्ष                           | - | सदस्य   |

संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में उक्त छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को कियान्वित कराते हुए प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे। इस काम में अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवायें ले सकेंगे।



उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण  
समन्वय समिति, पूर्वी  
सिंहभूम।

ज्ञापांक.....262...../विधि जमशेदपुर दिनांक.....05...../02...../2014


प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम,  
जमशेदपुर/घाटशिला/ सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम /  
जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, पूर्वी सिंहभूम  
/जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन



सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, / जिला शिक्षा पदाधिकारी  
/ सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्वी सिंहभूम  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है  
कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय  
की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा / पुलिस उप महानिरीक्षक,  
सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण  
समन्वय समिति, पूर्वी  
सिंहभूम।


ज्ञापांक.....262...../विधि जमशेदपुर दिनांक.....05.../...03...../2014

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational  
Development Society (SEEDS) एवं श्री प्रणय लाल, तकनीकी सलाहकार  
The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को  
सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ  
प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को  
सूचनार्थ प्रेषित।



उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण  
समन्वय समिति, पूर्वी  
सिंहभूम।



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर  
(विधि शाखा)

आदेश

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत अपर समाहर्ता (विधि व्यवस्था), पूर्वी सिंहभूम को जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का विशेष नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण) नामित किया जाता है। जिले के सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का जिले में सफल संचालन कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही पूर्वी सिंहभूम जिले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे। यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

2/3/14

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण  
समन्वय समिति, पूर्वी  
सिंहभूम।

ज्ञापांक...2.5.5.../विधि जमशेदपुर दिनांक...0.5.../...0.3.../2014

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला पूर्वी सिंहभूम /जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम /अधीक्षक, MGMMCH, पूर्वी सिंहभूम /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्वी सिंहभूम /सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम / सभी कार्यालय प्रधान, पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत/श्रम अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम /पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), पूर्वी सिंहभूम, जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, पूर्वी सिंहभूम, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम /उप-विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम / पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, सिंहभूम(कोल्हान) प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, सिंहभूम(कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


2/3/14

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण  
समन्वय समिति, पूर्वी  
सिंहभूम।



ज्ञापांक...१५६.../विधि जमशेदपुर दिनांक...०५.../०३...../2014

- प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Development Society (SEEDS) एव श्री प्रणय लाल, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, एन०सी०डी० सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा०चि० एवं शि० प०क० विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।



उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण  
समन्वय समिति, पूर्वी  
सिंहभूम ।



Sent  
5/2/14

**उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर**  
(विधि शाखा)

**आदेश**

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 25.02.2014 को जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, पूर्वी सिंहभूम एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (सीड्स) के संयुक्त तत्वावधान में जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम **COTPA-2003** के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ **जिला स्तरीय छापामार दस्ते** का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/- तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

**जिला स्तरीय छापामार दस्ता** में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे:-

- |  |   |         |
|--|---|---------|
| 1. अपर समाहर्ता(विधि व्यवस्था)-सह-विशेष नोडल पदा0,तम्बाकू नियंत्रण | - | अध्यक्ष |
| 2. आरक्षी उपाधीक्षक (मुख्यालय)                                     | - | सदस्य   |
| 3. जिला परिवहन पदाधिकारी   | - | सदस्य   |
| 4. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी                                    | - | सदस्य   |
| 5. जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी                                    | - | सदस्य   |
| 6. औषधि निरीक्षक   | - | सदस्य   |
| 7. जिला शिक्षा पदाधिकारी   | - | सदस्य   |
| 8. जिला कार्यक्रम प्रबंधक (जिला स्वास्थ्य समिति)                   | - | सदस्य   |
| 9. श्रम अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम                                    | - | सदस्य   |
| 10. संबंधित थानाध्यक्ष   | - | सदस्य   |
| 11. जिला नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण)                         | - | समन्वयक |

जिला नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण इस छापामार दस्ते के साथ समन्वय स्थापित कर सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रकिया को कियान्वित करेंगे। साथ ही प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

5/2/14

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण  
समन्वय समिति, पूर्वी  
सिंहभूम।




ज्ञापांक.....261...../विधि जमशेदपुर दिनांक.....05...../.....03...../2014

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर/घाटशिला/जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, पूर्वी सिंहभूम /जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट /जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, /जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्वी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा/पुलिस उप महानिरीक्षक, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

  
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण  
समन्वय समिति,  
पूर्वी सिंहभूम।


ज्ञापांक.....261...../विधि जमशेदपुर दिनांक.....05...../.....03...../2014

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Development Society (SEEDS) एवं श्री प्रणय लाल, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

  
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण  
समन्वय समिति,  
पूर्वी सिंहभूम।



5-3-14

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर  
(विधि शाखा)


आदेश

पूर्वी सिंहभूम जिला के कई स्थानों पर तम्बाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का प्रचार-प्रसार बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003, के धारा 5(1) एवं 5(3) के अनुसार किसी भी तम्बाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अधिनियम की धारा 21 के अनुसार "धारा 5 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास/रुपये 1000/- (रुपये एक हजार) का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों का प्रावधान है"।

अतः सभी संबंधित एजेंसियों/संस्थाओं/दुकानदारों/व्यक्तियों को निदेश दिया जाता है कि किसी भी तम्बाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में प्रचार-प्रसार करना बंद करें एवं पूर्वी सिंहभूम जिला में लगाये गये इस तरह के बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि को तत्काल प्रभाव से हटाये जायें अन्यथा विधि संवत कार्रवाई की जा सकती है।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।



उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण  
समन्वय समिति,  
पूर्वी सिंहभूम।

ज्ञापांक.....२६०...../विधि जमशेदपुर दिनांक.....०५...../०३...../2014

प्रतिलिपि : पूर्वी सिंहभूम जिला के सभी संबंधित एजेंसियों/संस्थाओं/तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दूकानदारों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अक्षेस/मानगो अक्षेस/जुगसलाई नगरपालिका/चाकुलिया नगर पंचायत अक्षेस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।




उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण  
समन्वय समिति,  
पूर्वी सिंहभूम।



ज्ञापांक.....260...../विधि जमशेदपुर दिनांक.....05...../.....03...../2014


- प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम / निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, पूर्वी सिंहभूम / सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला पूर्वी सिंहभूम / अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, पूर्वी सिंहभूम / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्वी सिंहभूम / सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम / जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम / सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम / सभी सी0डी0पी0ओ0, पूर्वी सिंहभूम / श्रम अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, / पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), पूर्वी सिंहभूम / जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकु नियंत्रण, पूर्वी सिंहभूम / असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला जनसमर्पक पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को निदेशित किया जाता हैं कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा / पुलिस उप महानिरीक्षक, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकु नियंत्रण  
समन्वय समिति,  
पूर्वी सिंहभूम।

ज्ञापांक.....260...../विधि जमशेदपुर दिनांक.....05...../.....03...../2014

- प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Development Society (SEEDS) एवं श्री प्रणय लाल, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।



उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकु नियंत्रण  
समन्वय समिति,  
पूर्वी सिंहभूम।



5314

# उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर (विधि शाखा)

आदेश

धूम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा 6 A के अनुसार सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दूकानों पर यह बोर्ड लगाना अनिवार्य है इस अधिनियम के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को तम्बाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है फ्लैक्स बैनर का प्रारूप निम्न प्रकार से है :-



**तम्बाकू जानलेवा है**

**अठारह वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है**

जिला के सभी तम्बाकू उत्पाद यथा- बिड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा एवं अन्य निकोटिनयुक्त पान मसाला तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों एवं थोक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने दुकान पर यह बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रु0 तक दंड का प्रावधान है।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

*(Handwritten Signature)*  
23/11

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण  
समन्वय समिति,  
पूर्वी सिंहभूम।

ज्ञापांक.....258...../विधि जमशेदपुर दिनांक.....06/...03...../2014

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम / निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन,  
पूर्वी सिंहभूम / विधि शाखा, पूर्वी सिंहभूम / जिला कार्यालय एवं अन्य जिला